वित्त समिति की दिनांक 23 मई 2011 को आयोजित 6ठी बैठक का कार्यवृत्त

1.1 सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम वित्त समिति की छठी बैठक होटल रॉयल प्लाजा, गंगटोक, में दिनांक 23.05.2011को 16:00 बजे आयोजित की गई थी ।

1.2. निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे

नाम एवं पदनाम		
1.	प्रो. महेन्द्र पी.लामा, उप कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	अध्यक्ष
2.	श्री आर डी सहाय, निदेशक (सी यू) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
3. (	श्री अर्जुन स्यांग्देन पूर्व प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक,	सदस्य
4.	श्री बिधान दत्ता अपर निदेशक, वित्त, राजस्व एवं व्यय विभाग सिक्किम सरकार (प्रधान सचिव, वित्त राजस्व एवं व्यय विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए)	सदस्य
5.	डा0 (श्रीमति) रेणु बत्रा, संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	सचिव

1.3 कार्यालय अयनिवार्यता के कारण निम्नलिखित सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सके:

1.	श्री नवीन सोई निदेशक (वित्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	सदस्य

प्रथम वित्त समिति की गंगटोक स्थित दिनांक **23** मई **2011** को आयाजित छठी बैठक के कार्यवृत्त

समूह I – स्वीकार्यता अपेक्षित मदें

एफ सी: **06:01**	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में शांति व्यवस्था का आह्वान

कार्यवृत्त

6.1.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन में शांति व्यवस्था हेतु आह्वान किया

एफ सी: **06:02**	निधन सूचना संदर्भ

मदसूची टिप्पणी:

[6.2.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु एवं जापान के प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों को सूचना गहरे शोक के साथ सदन में रखी गई।

1. *श्री अर्जुन सिंह पूर्व मानव संसाधन विकास संघ मंत्री एवं प्राख्यात लोक नायक*
2. *श्री नावांग गोम्बु, विश्वविद्यालय पर्वतारोही एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम कार्यकारी समिति का सदस्य*
3. *श्री सत्य साई बाबा, धार्मिक गुरू एवं लोकोपकारी*
4. *श्री अजीत भट्टाचार्या, प्रश्यात पत्रकार एवं लेखक*
5. *जापान में सूनामी जनित मृत्यु* **]**

कार्यवृत्त:

6.2.1 सदन ने गहरे शोक के साथ मदसूची द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यक्तियों/लोगों की निधन सूचना को नोट किया तथा मृत आत्माओं के सम्मान के रूप में सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया ।

एफ सी: **06:03**	उपकुलपति की टिप्पणियां

कार्यवृत्त:

6.3.1 उपकुलपति द्वारा वित्त समिति की दिनांक 25.11.2010 को आयोजित बैठक के पश्चात विश्वविद्यालय की विभिन्न गितविधियों एवं इनके भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

6.3.2 सम्मानित सदस्य डा0 रेणू बत्रा द्वारा देश के विभिन्न भागों एवं विदेश छात्रों की संख्या के बार में जानकारी मांगी गई, जिन्होंने 7 एवं 8 मई 2011 को नामांकन हेतु आयोजित विश्वविद्यालय

परीक्षा में भाग लिया। इस पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि 1060 अभ्यर्थीगण प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए । सम्मनित सदस्य ने आगे जानना चाहा कि विश्वविद्यालय द्वारा अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ भागीदार में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की संभावनाओं पर विचार किया है । इस पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित शैक्षाणिक कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम सिक्किम विश्वविद्यालय से मेल नहीं खाते हैं । अत: ऐसी भागीदारी नहीं की जा सकती है । सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने जानना चाहा कि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय विद्यालय किस प्रकार प्रस्तावित है, जिस पर अध्यक्ष ने उनके द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तृत उल्लेख किया । सम्मानित सदस्य श्री अर्जुन स्यांगदेन ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पक्षों में स्थापना से अब तक की गई प्रगति की प्रशंसा किया, साथ ही सुनिश्चित किया कि वित्त समिति के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के आगे विकास में अपना सर्वोत्तम समर्थन दिया जाएगा ।

एफ सी: **06:04**	वित्त समिति की दिनांक **25.11.2010** को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त:

6.4.1 समिति ने वित्त समिति की दिनांक 25.112010 को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया, जो कि कार्यसूची के अनुलग्नक के रूप में संलग्न था तथा इसकी पुष्टि कर ली गई ।

एफ सी: **06:05**	वित्त समिति की दिनांक **25.11.2010** को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त:

6.5.1 समिति ने वित्त समिति की दिनांक **25.11.2010** को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया । अनुमोदन के दौरान सम्मानित सदस्यों द्वारा निम्निलिखित अभ्युक्तियां की गई :

6.5.2 सम्मानित सदस्य श्री दत्ता ने आपत्ति किया कि विश्वविद्यालय द्वारा यांग्यांग स्थित भूमि अधिग्रहण एवं गंगटोक स्थित भूमि प्रापन के संबंध में अधिक प्रगति नहीं की गई । यदि सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रति यांग्यांग में समय में भूमि उपलब्ध करवाई गई होती, तो अब तक सिक्किम विश्वविद्यालय को देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित की जा चुकी होती ।

6.5.3 सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने आपत्ति उठाई कि भविष्य में मद सूची एवं अनुवर्ती कारर्वाई रिपोर्ट अगली बैठक के कम से कम 7 दिनों के पूर्व सभी सदस्यों को इस प्रकार ईमेल किया जाए कि सदस्यगण चर्चा हेतु उपरोक्त दोनों दस्तावेजों को पढ़ने के बाद तैयार होकर आ सकें। उन्होंने आगे भी कहा कि सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के माननीय मुख्यमंत्री के साथ यांग्यांग स्थित भूमि मुद्दे पर बातचीत हेतु शीघ्र आने की संभावना है । उन्होंने उल्लेख किया की भूमि मुद्दे को सिर्फ राजनैतिक इच्छाशक्ति द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

6.5.4 सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने कहा कि अध्यक्ष नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को सहभागिता एवं अंतर्प्रतिक्रिया विनिमय पर पत्र लिख सकते हैं । वास्त्व में नए केंद्रीय विद्यालय सिक्किम विश्वविद्यालय के अनुभवों एवं उपलब्धियों से लाभ उठा सकते हैं । जबकि ये विश्वविद्यालय नए हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय शैक्षणिक रूप से कार्यशील एवं ऊर्जावान है।

6.5.5 सम्मानित सदस्य श्री अर्जुन स्यांगदेन ने कहा कि अध्यक्ष इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि उनके द्वारा आज प्रस्तुत किया गया प्रस्तुतीकरण माननीय मुख्यमंत्री/ विधानसभा के सदस्यगण/ संसद सदस्य के सम्मुख कर सकते हैं , ताकि विश्वविद्यालय द्वारा साढ़े तीन वर्षों की अल्पावधि में हासिल उपलब्धियों एवं सिक्किम राज्य के कल्याण के प्रति अवदानों को उजागर किया जा सके ।

6.5.6 सम्मानित सदस्य डॉक्टर रेणु बत्रा ने सावधान किया कि विश्वविद्यालय को जहां तक कि मूल्यवान प्रयोगिक उपकरणों का संबंध है, इनकी पश्च विक्रय सेवा हेतु उचित प्रक्रिया लागू करनी चाहिए । उनका मानना था कि वारंटी अवधि के समाप्त होने पर कई आपूर्तिकर्त्ता फर्में सेवाओं के लिए वापस नहीं आएंगे । उन्होंने यह भी सलाह दी कि विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक उपकरणों के प्रापण की गति धीमी करनी चाहिए । उन्होंने यह भी जानना चाहा कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों का अंगीकरण किस प्रकार किया जाता है। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों का इस विषय पर अपने स्वयं के अध्यादेशों के अतिरिक्त विधिवत अनुसरण किया जाता है।

6.5.7 सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने बल दिया कि विश्वविद्यालय को अंगीकृत महाविद्यालयों के मामले में निरीक्षण पद्धतियों का कड़ाई के साथ अनुसरण करना चाहिए।

एफ सी: 06:06	वर्ष 2010-11 हेतु वार्षिक लेखाओं पर विचार

कार्यवृत्त:

6.6.1 समिति ने इन के समक्ष प्रस्तुत वर्ष 2010 -11 हेतु वार्षिक लेखाओं पर विचार विमर्श किया एवं इसका अनुमोदन किया । सदन में यह सुझाव भी दिया की द्वितीय कार्यकारी समिति गठित कर लिए जाने के बाद लेखाओं को इनके समक्ष ही संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाए । निम्नलिखित अन्य आपत्तियां भी उठाई गई :

6.6.2 सम्मानित सदस्य डॉक्टर रेणु बत्रा ने सुझाव दिया की लेखाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालय सदन के सदस्यों के लाभार्थ " एक झलक में लेखाएं" पर एक संक्षिप्त भी प्रस्तुत करें क्योंकि सदस्यों के पास संपूर्ण लेखाओं को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय न भी हो सकता है ।

6.6.3 सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से एक विनिवेश समिति की गठन अवशेष निधियों आदि के निवेश पर परामर्श देने के लिए करना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि इसका अनुसरण सभी अन्य विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। अन्य अग्रिमों में महति बकाया के बारे में सम्मानित सदस्य में जानना चाहा कि विश्वविद्यालय अग्रिमों के समय से निपटारे के लिए क्या कार्रवाई करता है । सचिव ने स्पष्ट किया कि इन राशियों को सामान्यता कार्य समाप्ति के 15 दिनों के अंदर निपटाया जाना वांछित है तथा विलंब के मामले में रूप में 100/- वगहज सप्ताह का दंड संबंधित अभ्यर्थियों पर लागू किया जाता है , जिन्होंने अग्रिम का आहरण किया है । सम्मानित सदस्य ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अग्रिमों की परिसंपत्ति एक समयबद्ध तरीके से करें तथा यथासंभव इसे अद्यतन रखें।

एफ सी: 06:07	वर्ष 2010-11 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार

कार्यवृत्त:

6.7.1 सदन ने वर्ष 2010 11 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया तथा इसपर प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को नोट किया। इनके द्वारा अनुदेश दिया गया कि विश्वविद्यालय को सभी आपत्तियों पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए। सचिव ने भी सदन को आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा अपनी रिपोर्ट में उठाई गई महत्वपूर्ण आपत्तियों को स्पष्ट किया तथा इन आपत्तियों के निपटान में विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही करवाई के बारे में बतलाया ।

एफ सी: 06:08	केंद्रीय विद्यालय का खोला जाना

कार्यवृत्त:

6.8.1 समिति ने मद सूची पर विचार किया । सम्मानित सदस्य डॉक्टर रेनू बत्रा ने विश्वविद्यालय को सलाह दी कि यह उचित होगा यदि केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय के यांग्यांग स्थित स्वयं के कैंपस में अगले वर्ष से आरंभ किया जाता है। सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने भी आपत्ति उठाया की विद्यालय गंगटोक में किराए के भवन में इसी वर्ष आरंभ करने की क्या आवश्यकता है, जबकि गंगटोक एक मार्गस्थ अवस्थान है । उन्होंने उल्लेख किया कि एक बार गंगटोक में आरंभ हो जाने पर विद्यालय को यांग्यांग स्थानांतरित करना कठिन होगा ।

6.8.2 अध्यक्ष महोदय ने सम्मानित सदस्य के व्यक्तियों एवं सुझावों को नोट किया गया एवं उन्होंने कहा कि इसका अनुसरण किया जाएगा । उन्होंने आगे कहा की केंद्रीय विद्यालय सी जी एच एस आदि सभी सुविधाओं की योजना विश्वविद्यालय ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि यांग्यांग के नागरिकों के समग्र लाभ के लिए बनाया है ।

एफ सी: 06:09	वर्ष 2010-11 हेतु बजट लाभ बनाम वास्तविक आंकड़े तथा वर्ष 2011-12 हेतु बजट प्राक्कलन

कार्यवृत्त:

6.9.1 सदन में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावित पुनर्विनियोजन सहित बजट प्रस्तावों पर विचार किया । सम्मानित सदस्य डॉक्टर रेणु बत्रा ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय भूमि के अभाव में XI योजना अवधि हेतु आवंटन लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा करेगा । अध्यक्ष महोदय में जानना चाहा कि क्या योजनावधि के अंत में विश्वविद्यालय के अव्ययित आवंटन को अव्ययगत निधियों के सेंट्रल पूल के प्रति रखा जा सकता है । इस पर सम्मानित सदस्य डॉक्टर रेणु बत्रा ने उल्लेख किया की वर्तमान आदेशों के अनुसार ऐसा संभव नहीं होगा एवं जोभी अव्ययित राशि बचती है वह योजनावधि की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगी । इस पर विचार किया जा सकता है कि भूमि के गैर आवंटन के कारण विश्वविद्यालय की विचित्र स्थिति की दृष्टि से XII योजना हेतु संपूर्ण अनुदान सामान्य विकास अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध किया जा सकता है । डॉक्टर डा0 रेणु बत्रा ने आगे बताया कि यू जी सी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय लेखाओं के प्रत्येक शीर्ष हेतु आवंटन से अधिक खर्च नहीं कर सकता है । उन्होंने सलाह दिया की विश्वविद्यालय को उनके द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के आधार पर निधियों के पुनर्आवंटन हेतु यू जी सी से तत्काल पत्राचार करना चाहिए । इस पर सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय आत्मविश्लेषण करें कि

किस व्यय को अगली योजना हेतु टाला जा सकता है एवं कौन व्यय नहीं टाला जा सकता है, तदनुसार यू जी सी के प्रति पुनर्आवंटन हेतु प्रस्तावकरें ।

6.9.2 बजट प्राक्कलन पर सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय यांग्यांग स्थित फेंसिंग हेतु प्रस्तावित व्यय रू0 8 करोड़ पर सीमांकित करें तथा रु0 2 करोड़ की राशि यांग्यांग स्थित भवन निर्माण के लिए रखे ।

6.9.3 सम्मानित सदस्य डॉक्टर रेणु बत्रा ने आपत्ति उठाई की विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन के अंतर्गत आवंटन अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि यह एक करोड़ से अधिक है । इस पर अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि नए विश्वविद्यालय होने के कारण देश के सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन देना इसके लिए आवश्यक है तथा कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इंडिया में विज्ञापन प्रभार सचमुच बहुत अधिक है । सम्मानित सदस्य डॉक्टर रेणु बत्रा ने सलाह दिया कि जहां तक गैर योजना व्यय का संबंध है, विश्वविद्यालय को वेतन एवं गैर वेतन अवयवों के बीच 60:40का अनुपात अनुरक्षित करना चाहिए ।

6.9.4 उन्होंने यह भी पाया कि विश्वविद्यालय नियंत्रण उद्देश्य से स्थापना व्यय का भी गहनता से मॉनिटरन कर सकता है तथा शिक्षण एवं गैर शिक्षक कर्मचारी भर्ती एवं पुनर्विनियोजन हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुसरण कर सकता है । अध्यक्ष ने इस पर सहमति जताई ।

6.9.5 उपरोक्त आपत्तियों /सुझाव/ संशोधनों के साथ समिति ने वर्ष 2011- 12 हेतु बजट प्राक्कलन एवं पुनर्विनियोजन प्रस्तावों का अनुमोदन किया ।

एफ सी: **06:10**	दिनांक **01.05.2011** तक की स्थिति अनुसार अव्ययित शेषों की स्थिति

कार्यवृत्त:

6.10.1 समिति ने 01.05.2011 तक की स्थिति अनुसार अव्ययित शेषों की स्थिति दर्शाने वाले विवरण पर विचार विमर्श किया तथा इस इसका अनुमोदय किया ।

एफ सी: **06:11**	करार पर भर्ती सहायक कर्मचारियों/कनिष्ठ कर्मचारियों के मामले में वेतन निर्धारण आरंभ किया जाना

कार्यवृत्त:

6.11.1 इस मदसूची को वापस लिया गया

एफ सी: 06:12	गंगटोक स्थित भूमि का प्रापन

कार्यवृत्त:

6.12.1 समिति ने मदसूची पर विस्तृत विचार विमर्श किया तथा सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय मंत्रालय के प्रति एक स्वत: स्पष्ट पत्र उसी प्रकार भेज सकता है, जैसा कि इसने विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ मदसूची में रिपोर्ट की गई है । अध्यक्ष ने इसपर तत्काल अनुपालन हेतु सहमति जतलाई ।

6.12.2 समिति ने तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रति अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाने के लिए इसकी अनुशंसा की ।

समूह II - सूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें

एफ सी: 06:13	नई पेंशन योजना का प्रस्तावना

कार्यवृत्त:

6.13.1 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा नियमित आधार पर भर्ती किए गए अपने कर्मचारियों के प्रति नई पेंशन योजना की प्रस्तावना पर की गई कार्रवाई को नोट किया । सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने समिति के सचिव को सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के श्री एस के सिंह, वित्त अधिकारी इस विषय पर अगले मार्गदर्शन हेतु लिख सकता है, क्योंकि श्री सिंह ने इस मुद्दे पर बहुत से मौलिक कार्यकिए हैं ।

6.13.2 सचिव सम्मानित सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव के अनुपालन हेतु सहमत हुए ।

एफ सी: 06:14	व्यवहार्य संहिताओं का निर्माण

कार्यवृत्त:

6.14.1 समिति ने विश्वविद्यालय की विभिन्न मानदंडों/ नियमावली/ पद्धतियों को व्यवहार्य संहिताओं के रूप में संस्थागत करने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया तथा उनके प्रति अपनी प्रशंसाओं को अभिलेखित किया । समिति ने संहिताओं के निर्माण में संलग्न सभी कर्मचारियों के प्रति शुभेच्छा व्यक्त किया । समिति को अध्य द्वारा यह सूचित किया गया कि यह सभी संहिताओं का प्रथम ड्राफ्ट है तथा इसे समिति के समक्ष विचारार्थ एवं इनके मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

6.14.2 समिति ने सामान्य रूप से संहिताओं को पढ़ा तथा इसका अनुमोदन किया कि इसे भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न नियमावली/आदेशों के समनुरूप होन चाहिए ।

6.14.3 सम्मानित सदस्य डा0 रेणु बत्रा ने संहिता की एक साफ्ट प्रति की अपेक्षा आगे अध्ययन हेतु की, जिस पर अध्य ने सहर्ष सहिमति व्यक्त की ।

एफ सी: 06:15	अंगीभू महाविद्यालयों पर रिपोर्ट

कार्यवृत्त:

6.15.1 समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार अंगीभूत महाविद्यालयों पर रिपोर्ट तथा इस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उपर सचिव से प्राप्त प्रशंसा पत्र पर विचार विमर्श किया तथा इन्हें नोट किया ।

एफ सी: 06:16	वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट

कार्यवृत्त:

6.16.1 समिति ने वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना पर प्रगति रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया एवं की गई प्रगति तथा अनुसरण की गई पद्धतियों पर अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया

एफ सी: 06:17	पुस्तकालय पर स्थिति रिपोर्ट

कार्यवृत्त:

6.17.1 समिति ने पुस्तकालय पर स्थिति रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसे नोट किया

एफ सी: 06:18	सिक्किम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का भ्रमण

कार्यवृत्त:

6.18.1 समिति ने मदसूची पर विचार किया तथा इसे नोट किया

एफ सी: 06:19	कोई अन्य विषय

कार्यवृत्त:

6.19.1 सदन में अध्य महोदय ने निम्नलिखित पर कार्यकारी परिषद के निर्णयों के बार में उल्लेख किया :

1. मार्गस्थ कार्यालय आदि हेतु सिलीगुड़ी में भूमि खंड का अधिग्रहण
2. अतिथि गृह/संपर्क कार्यालय उद्देश्य से नई दिल्ली मे एक फ्लैट का प्रापन

6.19.2 अध्य ने उनके द्वरा उपरोक्त के संबंध में किए गए प्रयासों का विवरण समिति के सदस्यों के समक्ष रखा ।

6.19.3 सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए गंगटोक स्थित एक बाह्य कार्यालय एवं सिलीगुड़ी में भी ऐसी व्यवस्था उचित नहीं होगा तथा ऐसे प्रयास गंगटोक में भूमि अधिग्रहण के प्रयासों को नगण्य कर देगा, जो कि विश्वविद्यालय के लिए अधिक महत्वपूर्ण है ।इस पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि सिलीगुड़ी में भूमि प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ

संपर्क किया है तथापि, इसमें कुछ वक्त लग सकता है । इस परिस्थिति में उनका विचार था कि सिलीगुड़ी में निशुल्क भूमि प्राप्त करना गंगटोक में भूमि प्राप्त करने के विश्वविद्यालय के प्रयासों में कोई कमी नहीं लाएगा। सम्मानित सदस्य डॉक्टर रेणू बत्रा ने उल्लेख किया कि सिलीगुड़ी में भूमि प्राप्त करते समय विश्वविद्यालय को यह देखना चाहिए कि भूमि हवाई-पट्टी से बहुत अवस्थित ना हो, जो कि अन्यथा होने पर प्राप्त करने के उद्देश्य को धूमिल कर सकता है । अध्यक्ष ने सम्मानित सदस्य के इस सुझाव को नोट किया तथा इस पर विचार करने का आश्वासन दिया ।

6.19.4 दिल्ली स्थित एक फ्लैट की खरीद के संबंध में सम्मानित सदस्य श्री आर डी सहाय ने उल्लेख किया कि नई दिल्ली आदि में आई सी एस एस आर सदृश कई संस्थान है जिनके साथ विश्वविद्यालय अपने उन कर्मचारियों के लिए नियमित अतिथि गृह आवास हेतु एक व्यवस्था करने के लिए संपर्क कर सकता है, जो कि दिल्ली भ्रमण पर आते हैं, वनिस्पत इसके कि एक फ्लैट खरीदा जाए । सम्मानित सदस्य अध्यक्ष महोदय को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का परामर्श दिया । अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय सम्मानित सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों पर निश्चित ही अमल करेगा ।

6.19.5 बैठक में उठाए जाने के लिए कोई अन्य विषय नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यवाही समाप्त हुई ।

हस्ताक्षरित/-
(पी वी रवि)
वित्त अधिकारी एवं
पदेन सचिव, वित्त समिति